1×25.

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–4094–औसं–17/पाकालि/2016–11(11)एफ/86 टी0सी0(VOL-III) दिनाँक 13 अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परीजनों एवं पारिवारिक पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति विषयक वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन सम्बन्धी निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं0–1815–औ0स0–17/पाकालि/2002–11(11)एफ/86 टी0सी0, दिनाँक 20.5.2002 को संशोधित करते हुए निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निर्णयानुसार वितरण एवं सहयोगी कम्पनियों हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के अधिकारों का निम्नवत् प्रतिनिधायन तत्काल प्रभाव से किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है :–

निगम का नाम	अधि0अभि0	अधी0अभि0 उप महाप्रबन्धक	मु0अ0/महा प्रबन्धक/अपर सचिव/मुख्य अभि0(स्तर–1)/मुख्य महाप्रबन्धक	मु0अ0 (ज0वि0)	डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक (एकल)	डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक डिस्काम के निदेशक (वित्त) की सहमति से	नि0(का0प्र0 एवं प्रशा0) एकल	नि0 (का0प्र0 एवं प्रशा0) नि0(वित्त) की सहमति से
उ0प्र0 पाकालि एवं सहयोगी वितरण कम्पनियाँ	रू0 10,000/–	रू0 25,000/–	रू0 50,000/–	रू0 1,50,000/–	रू0 2,00,000/ तक	रू0 5,00,000/– तक रू0 5,00,000/– से अधिक के प्रकरण उ0प्र0 पाकालि मुख्यालय को संदर्भित किये जायेंगे।	रू0 5,00,000/	रू0 5,00,000/– से अधिक के प्रकरण

(उपरोक्त वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करने हेतु केवल वे ही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य आवण्टित होंगे)।

2. सेवारत कार्मिकों हेतु चिकित्सा व्यय अग्रिम हेतु डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक रू0 5,00,000/– तक अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे तथा रू0 5,00,000 /– से अधिक के चिकित्सा अग्रिम के प्रकरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को सन्दर्भित किये जायेंगे।

3. कारपोरेशन के सन्दर्भगत आदेश सं0–2981–औ0स0–17/पाकालि/2001, दिनाँक 08.10.2001 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित सरकारी अस्पतालों एवं पूर्ववर्ती परिषद/कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में "आउटडोर पेशेण्ट" के रूप में डायलिसिस कराने पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति यथावत् अनुमन्य होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

.....2...../–

MEDICAL/620

संं0–4094–1–औ0सं0–17/पाकालि/2016 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. महाप्रबन्धक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

MEDICAL/621